

08.12.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत उपस्थित। अप्रार्थी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार आबूरोड के आदेश क्रमांक/राजस्व/केम्प/खडात/2018/02 दिनांक 22.06.2018 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

B. L. W.
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

